R/R, JE, (CSE)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 461—467

Dated 6-4-2013

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013

सा.का.नि. 82.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उपशमन मंत्रालय (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) (अधीनस्थ कार्यालय) कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं वैद्युत) नियम 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, में अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं वैद्युत) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ कर्यालय कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और वैद्युत) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में वर्णित पदों पर लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन–बैंड एवं ग्रेड–वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) (2013) 2200* केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग–1403 लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–602, आयकर–171 पर्यावरण एवं वन–20, भूमि तथा विकास कार्यालय–04 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपित्रत अननुसचिवीय	वेतन बैंड–2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	32 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों की छूट । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू और कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी सब डिवीजन, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रह रहे अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की गई हो)।

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा । **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नत/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(1) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 95 प्रतिशत ।	लागू नहीं होता

(10)
(2) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पांच वर्षों की नियमित सेवा करने वाले तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर स्तंभ (7) में यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता वाले विभागीय कर्मचारियों में से (कार्यप्रभारित या नियमित) से पांच प्रतिशत ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) : 1. अधीक्षण इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य 3. कार्यपालक इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ इंजीनियर (वैद्युत)	कनिष्ठ इंजीनियर (वैद्युत) (2013) 890* केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-723 लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-155, आयकर-06 पर्यावरण एवं वन-07, भूमि तथा विकास कार्यालय-07 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं	32 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों की छूट । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू और कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी सब डिवीजन, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रह रहे अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की गई हो)।

(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा । **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष

(10)	(11)
(1) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 95 प्रतिशत । (2) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पांच वर्षों की नियमित सेवा करने वाले तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर स्तंभ (7) में यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता वाले विभागीय कर्मचारियों में से (कार्यप्रभारित या नियमित) से पांच प्रतिशत ।	लागू नहीं होता ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अधीक्षण इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य 3. कार्यपालक इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना अपेक्षित नहीं है ।

[फा. सं. 29/4/2006-एस एवं डी]

अंबुज वाजपई, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2013

G.S.R. 82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation (Central Public Works Department), (Subordinate Offices) Junior Engineers (Civil and Electrical) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer (Civil and Electrical) in the subordinate offices in the Central Public Works Department in the Ministry of Urban Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Subordinate Offices, Junior Engineer (Civil and Electrical) Recruitment Rules, 2013.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. .—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Junior Engineer (Civil)	Junior Engineer Civil (2013) 2200* (Central Public Works Department-1403; Public Works Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi-602; Income Tax-171; Environment and Forest-20; Land and Development Office-04) *Subject to variation dependent of workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -2, Rs. 9300—34800 + Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 32 years. **Note 1 :** Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

1424 UD/13-2

(6)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
(i) Ninty five percent by direct recruitment through All India Competitive Examination to be held by the Staff Selection Commission. (ii) Five percent from amongst departmental employees (Work charged or regular) with five years continuous service in Central Public Works Department and possessing the educational qualifications as prescribed in column (7) on the basis on a Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Central Public Works Department.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (i) Superintending Engineer, Central Public Works Department —Chairman (ii) Executive Engineer (Civil), Central Public Works Department —Member (iii) Executive Engineer (Electrical), Central Public Works Department —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Engineer (Electrical)	Junior Engineer (Elec.) (2013) 890* (Central Public Works Department-723; Public Works Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi-155; Income Tax-05; En-	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -2, Rs.9300—34800+ Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 32 years. **Note 1:** Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	vironment and Forest-07) *Subject to variation dependent of workload.				be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Diploma in Electrical or Mechanical Engineering from a recognized Unviersity or Institue. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applciable	Two years

(10)	(11)
(i) Ninty five percent by direct recruitment through All India Competitive Examination to be held by the Staff Selection Commission. (ii) Five percent from amongst departmental employees (Work charged or regular) with five years continuous service in Central Public Works Department and possessing the educational qualifications as prescribed in column (7) on the basis on a Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Central Public Works Department.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (i) Superintending Engineer, Central Public Works Department —Chairman (ii) Executive Engineer (Civil), Central Public Works Department —Member (iii) Executive Engineer (Electrical), Central Public Works Department —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 29/4/2006-S&D]
AMBUJ BAJPAI, Under Secy.

MGIPRRND—1424 UD/13—100 Copies.